न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 106/2011/टीआई

1. सुल्तान पुत्र बोदुराम आयु 50 साल
2. जगदीश पुत्र बोदुराम आयु 42 साल
3. प्रभुदयाल पुत्र बोदुराम आयु 45 साल
4. सांवरा पुत्र बोदुराम आयु 40 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण झामावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

ब ना म

1. बंशीधर पुत्र धन्नाराम उम्र बालिग
2. घीसीदेवी बेवा सुरजाराम उम्र बालिग
3. सागरमल पुत्र सुरजाराम उम्र बालिग
4. श्रवण कुमार पुत्र सुरजाराम उम्र बालिक
5. पूर्णमल पुत्र सुरजाराम उम्र बालिग

   समस्त जाति जाट निवासीगण खाटूश्यामजी तहसील दांतारामढ जिला सीकर
6. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
7. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री नंदलाल धायल वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की ओर से
3. श्री राजेन्द्र रणवां वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन बाबत पेश किया गया है। वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में विवादित कृषि भूमियां खसरा नं. 799 ता 802, 2123, 2125 ता 2127, 2143, 2256, 2256/3866, 2257, 2286 किता 13 कुल रकबा 11.77 है0 अवस्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीगण का 1/3 संयुक्त अविभाजित हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है एवं बाकी हिस्सा अन्य सह हिस्सेदार अप्रार्थीगण का मुताबिक जमाबंदी दर्ज है एवं तद्नुसार मौके पर सभी पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमियों का पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने एवं भूमाफिया गिरोह के बहकावे में आकर वादग्रस्त कृषि भूमियों के मनचाहे एवं महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थानों पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त कुउद्देश्य में कामयाब हो गये

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

तो प्रार्थीगण के वैध सांपतिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं अनावश्यक मुकदमेंबाजी को बढावा मिलेगा। इस बाबत अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना उचित एवं आवश्यक है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का सुदृढ है तथा वादग्रस्त भूमियों के मनचाहे भूभाग पर जबरन आवेदकगण को बेदखल कर कब्जा किये जाने से अपूरणीय क्षति भी आवेदकगण को ही होती है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात बाबत अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे उक्त कृषि भूमियों में आवेदकगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी करने, उपयोग उपभोग में बाधा डालने, नींव सींव तोड़ फोड़ करने, दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, रहन रखने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से मय अपने नौकर एजेंट, प्रतिनिधि एवं परिवार जन बाज रहे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक सं. 6, 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा हाजिर हुए एवं दावा में इकबालिया जवाब पेश किया गया है इसलिए टीआई में इकबालिया जवाब माना जावें। अनावेदक सं. 1 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र रणवां हाजिर हुए एवं जवाब आवेदन प्रस्तुत कर काउंटर आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण व अनावेदकगण का सजरा खानदान इस प्रकार है–

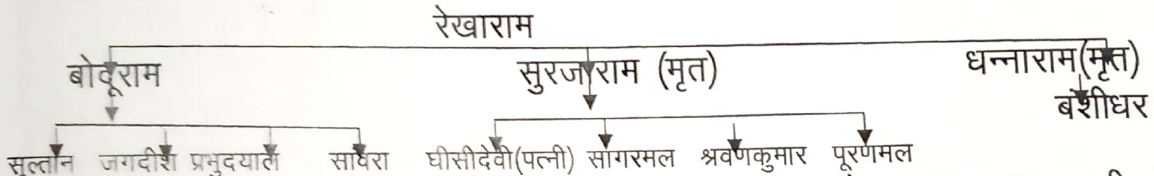

आवेदकगण व अनावेदकगण की पैत्रिक संपदा वाके ग्राम खाटूश्यामजी में जिसके ख.नं. उक्त आवेदन के पैरा सं. 2 में दर्ज है तथा आवेदकगण व अनावेदकगण व अन्य संपदा जो वाके ग्राम झामावास में अवस्थित है उनके ख.नं. 181, 189, 251/711, 268, 305, 251 किता 6 कु रकबा 14.15 है0 है जिनमें अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक की पैत्रिक कब्जा काश्त खातेदारी ख.नं. 181, 189 में हिस्सा 1/6 तथा ख.नं. 251/711, 268, 305, 251 में हिस्सा 1/3 अवस्थित थी। आवेदकगण व अनावेदकगण के पूर्वजों के मध्य 30 वर्षो पूर्व उक्त आवेदन की पैरा सं. 2 में दर्ज संपदा जिसमें अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक का हिस्सा 1/3 व काउंटर के पैरा सं. 11 में दर्ज संपदा में पारिवारिक बंटवारा हुआ जिसकी लिखावट की तहरीर तकमील की गई थी जो आवेदकगण के पूर्वज के पास थी जो निम्न प्रकार तहरीर तकमील हुई है–

1. यह कि उक्त आवेदन के पैरा सं. 2 में दर्ज संपदा जो ग्राम खाटूश्यामजी के पास होने तथा आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को नुकसान करने वाली भूमि होने के कारण तथा कम उपजाऊ होने के कारण अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक के पिता को काउंटर आवेदन पैरा सं. 11 में दर्ज संपदा के हक हिस्से की भूमि के बदले अनावेदक सं. 2 ता 5 व आवेदकगण के पूर्वजों के द्वारा उक्त आवेदन की पैरा सं. 11 में दर्ज संपदा में उसके हिस्से के अलावा 1/3 आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 ने अपने हिस्से 1/3 में आधी यानि आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 ने अपने हिस्से में से 1/6, 1/6 हि. अनावेदक सं.

उप अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

1 काउंटर आवेदक के पिता को खाटूश्यामजी में अवस्थित भूमि जो उक्त आवेदन के पैरा सं. 11 में दर्ज में से दी गई। इस प्रकार उक्त आवेदन के पैरा सं. 11 में दर्ज संपदा में अनावेदकग सं. 1 काउंटर आवेदक के पिता को कुल रकबे में से 2/3 हिस्से पर मुताबिक बंटवारा कब्जा काश्तकार किया गया था उक्त आवेदन में आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 के पूर्वजों के पास हिस्से 1/6, 1/6 शेष रहा था और उसी अनुसार विगत 30 वर्षो से काबिज काश्तकार चले आ रहे है तथा अनावेदकग सं. 1 काउंटर आवेदक की पैत्रिक भूमि जो वाके ग्राम झामावास में अवस्थित हे उन पर संपूर्ण पर इस आवेदन के पेरा सं. 11 में दर्ज संपदा में कांउटर आवेदक को दी गई भूमियों के बदले आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 के पूर्वज काबिज काश्तकार हुए थे इस प्रकार विगत 30 वर्षो से उक्त आवेदन के पैरा सं. 11 की संपदा पर अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक हि. 2/3 पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्तकार चला आ रहा हे तथा शेष 1/3 हिस्से पर आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 काबिज काश्तकार है। उक्त विगत 30 वर्षो पूर्व की गई बंटवारे के अनुसार संशोधन की बात आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 के समक्ष अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक द्वारा दिनांक 01.08.11 को की गई तो आवेदकगण व अनावेदक सं. 2 ता 5 ने आश्वासन दिया कि जल्दी क्या है करवा लेंगे। इतने दिन परेशानी नहीं हुई तो अब क्या परेशानी होगी। आवेदकगण की नियत में खोट आ गई क्योंकि अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक को पारिवारिक बंटवारे में पूर्वजों के समय में उक्त आवेदन के पेरा सं. 11 जो खाटूश्यामजी के नजदीक होने के कारण जमीनों के भाव बढने के कारण वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए आवेदन पेश किया गया हैं। 30 वर्षो से पूर्व बंटवारा के अनुसार काबिज ख.नं. के हाल सैटिलमेंट के द्वारा कुल 13 नंबर कुल रकबा 11.77 है0 जिसका उल्लेख उक्त आवेदन के पैरा सं. 11 में दर्ज है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का सुदृढ है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगणों को होगी इसलिए तादौराने दावा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने काउंटर आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ है एवं अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी इसलिए प्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें ने जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराया गया।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2063–66 के खाता सं. 374 के खसरा नं. 799 ता 802, 2123, 2125 ता 2127, 2143, 2256, 2256/3866, 2257, 2286 किता 13 कुल रकबा 11.77 है0 की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम से संयुक्त रूप से अंकित है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा अंकित है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब आवेदन व काउंटर आवेदन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अन्य संयुक्त खातेदारी की भूमियां झामावास प.मं. धींगपुर में भी है उनके ख.नं. 181, 189, 251/711, 268, 305, 251 किता 6 कुल रकबा 14.15 है0 है जिनमें अनावेदक सं. 1 काउंटर आवेदक की पैतृक कब्जा काश्त खातेदारी ख.नं. 181, 189 में हि. 1/6 तथा ख.नं. 251/711, 268, 305, 251 में हि. 1/3 अवस्थित थी जिनके

...कारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

बाबत आवेदकगण व अनावेदकगण के पूर्वजों के मध्य 30 वर्षो पूर्व उक्त आवेदन की पैरा सं. 2 में दर्ज संपदा में पारिवारिक बंटवारा हुआ। इससे जाहिर है कि आवेदकगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी ग्राम झामावास तहसील दांतारामगढ में भी अवस्थित है। इस प्रकार आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमियां एवं काउंटर आवेदन की मद सं. 11 में वर्णित भूमियां आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमियां है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के साथ साथ अप्रार्थी सं. 1 ता 5 का भी सुदृढ है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण को भी होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा। अतः उभय पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादौराने दावा विवादित आराजियात खसरा नं. 799 ता 802, 2123, 2125 ता 2127, 2143, 2256, 2256/3866, 2257, 2286 किता 13 कुल रकबा 11.77 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं बेचान न करें। मिसल फैसल शुंमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner